दिनांक 07.09.2011 को श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा किये गये खास महाल अन्दर किला एवं गिर्द किला में अवस्थित गिरजाघर परिसर एवं उसके अंदर अवस्थित भवनों की निरीक्षण टिप्पणी :-

दिनांक 07.09.2011 को खास महाल अन्दर किला एवं गिर्द किला में अवस्थित अत्यन्त पुराने कुछ भवनों का निरीक्षण इस दृष्टिकोण से किया गया कि क्या ऐसे भवन एवं परिसर यहाँ पर अवस्थित हैं जिसे पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है एवं जो 150-200 सालों से अधिक पुराने हैं एवं जिन्हें Ancient Monuments And Archeological Sites and Remains Act, 1958 के तहत् अधिसूचित करने की आवश्यकता हो। उक्त निरीक्षण में अधोहस्ताक्षरी के साथ श्री राजीव प्रसाद सिंह रंजन, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं श्री आशीष नारायण, खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर उपस्थित थे।

(1) जेल के उत्तर आनंद भवन परिसर :-

अवस्थिति :- खाता सं0 19, खसरा सं0- 22, रकवा-2.48 एकड़

निरीक्षण सं0 01:-

प्रातः 10:30 बजे उक्त भवन/परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि परिसर के पश्चिमी दरवाजे से गंगा प्रारंभ हो जाती है एवं उक्त परिसर, जो लगभग 02 एकड़ 48 डिसमिल रकवा में अवस्थित है, को पूर्व में श्री अरूण कुमार गोयनका व अशोक कुमार गोयनका, पिता-केदारनाथ गोयनका को लीज पर दिया गया था। निरीक्षण के समय बिहार स्कूल ऑफ योगा के स्वामी शंकरानन्द उक्त भवन में उपस्थित थे एवं उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों पूर्व समाहर्त्ता की अनुमति से पूर्व लीजधारी द्वारा बिहार स्कूल ऑफ योगा को लीज के सभी अधिकार एवं देनदारिया भेंट स्वरूप हस्तांतरित किये गये थे।

निदेश :-

खास महाल पदाधिकारी ने बताया कि उक्त अंतरण से संबंधित एक संचिका खास महाल कार्यालय में संधारित है एवं विभागीय स्तर से कुछ पृच्छा भी की गयी है जिसपर खास महाल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त संचिका में आवश्यक प्रतिवेदन, जो विभाग ने मांगा है, तैयार कर उपस्थपित करें। इस प्रकार यह परिलक्षित होता है कि अंतरण के बिन्दु पर अलग से विधिमान्य कार्रवाई की जा रही है। **(अनुपालन-खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर)**

निरीक्षण सं0 02:-

निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि उक्त परिसर में एक पुराना भवन अवस्थित है जिसके बारे में स्वामी शंकरानन्द ने बताया कि उक्त भवन 200 साल से अधिक पुराना है जिसे अभी गोलकोठी के नाम से जाना जाता है। उक्त भवन का स्थापत्य डिजाईन आनंद भवन से मिलता-जुलता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आनंद भवन परिसर के बीचों-बीच में तीन मंजिला भवन अवस्थित था जो काफी पुराना हो जाने के कारण जर्जर हो गया था एवं उसे कुछ वर्षों पूर्व हटा दिया गया था, किन्तु गोलकोठी अभी अच्छी स्थिति में है।

निदेश :-

अतएव इसके स्थापत्य को बरकरार रखा जाना आवश्यक है एवं इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए कि उसे Ancient Monument घोषित करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर)

(2) समाहरणालय परिसर के उत्तर में अवस्थित गिरजाघर :-

अवस्थिति :- गैरमजरूआ कैसर-ए-हिन्द्र, खाता सं0-51, खसरा सं0-65, रकवा- 69 डिसमिल

निरीक्षण सं0 01:-

पूर्वाह्न 10:45 बजे समाहरणालय के उत्तर में स्थित चर्च का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि चर्च के मुख्य द्वार बंद है एवं बाहर से देखने पर अंदर कुछ निर्माण के सामान, गाय, भैंस एवं कचरा पाया गया। अन्दर उपस्थित लोगों को आवाज देने पर एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला एवं अन्दर प्रवेश करने पर ज्ञात हुआ कि परिसर के बीच में चर्च अवस्थित है एवं परिसर में एक व्यक्ति श्री जटाशंकर पासवान उपस्थित हुए जिन्होंने अधोहस्ताक्षरी को बताया कि उक्त परिसर में चर्च की देखभाल के लिए उनके पिता झपसू पासवान को 1961 में मासिक 5.00 (पॉच) रूपये मेहनताना की दर पर रखा गया था एवं उन्हें चर्च के outhouse में निवास करने की इजाजत दी गयी थी तथा परिसर के एक छोटे-से हिस्से में अपने उपयोग लायक सब्जियॉ एवं एक-दो गाय रखने की इजाजत भी दी गयी थी।

आज निरीक्षण के दौरान यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि यह चर्च कम-से-कम 150 साल पुराना है एवं इसके अन्दर लगे शिलापट्टों से इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। किन्तु परिसर में श्री जटाशंकर पासवान एवं उनके अन्य 04 भाई अपने परिवार के साथ अलग-अलग मकान बनाकर रह रहे हैं। साथ ही तीन-चार वाहनों को छोटे-छोटे गैराज का निर्माण कर रखा गया है। पूरे परिसर को अत्यन्त गंदा रखा गया है एवं चर्च के परिसर का मूल स्वरूप इस प्रकार के अतिक्रमण से परिवर्त्तित किया गया है। इसी दरम्यान श्री जटाशंकर पासवान ने बताया कि वे वर्तमान में वार्ड सं0 01, नगर निगम, मुंगेर के वार्ड पार्षद हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उनके पिता झपसू पासवान को मासिक दर पर caretaker समिति द्वारा नियुक्त किया गया था, किन्तु वर्तमान समय में श्री जटाशंकर पासवान एवं उनके 04 भाईयों द्वारा चर्च के जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर पूर्ण भवन पर निर्माण सामग्रियॉ, गाय, भैंस, गाड़ियॉ इत्यादि रखा जा रहा है एवं उसके परिसर को अपने निवास के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान गिरजाघर बंद पाया गया एवं खोलने का निदेश देने पर करीब 05 मिनट बाद चाभी ढूँढकर उसे खोला गया।

अधोहस्ताक्षरी का विचार है कि उक्त चर्च अत्यन्त ही ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व का है जिसे उनके मूल स्वरूप में संरक्षित रखने की आवश्यकता है। साथ ही वहाँ निवास कर रहे लोग, उक्त चर्च के caretaker न होकर 20-25 अतिक्रमणकर्त्ता है जिन्हें इस गैरमजरूआ आम जमीन से तुरंत हटाया जाना आवश्यक है।

निदेश :-

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को आदेश दिया जाता है कि लोक भूमि अतिक्रमण (निवारण) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत संबंधितों को नोटिस निर्गत किया जाय एवं शीघ्रतिशीघ्र उक्त चर्च को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय। **(अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर)**

(3) वाणिज्य कर कार्यालय के उत्तर, मुंगेर-जमुई को-ऑपरेटिव बैंक के दक्षिण एवं मुंगेर सिविल कोर्ट के पूर्व अवस्थित गिरजाघर :-

अवस्थिति :- गैरमजरूआ आम गिरजाघर, खसरा सं0-160, रकवा- 0.95 एकड़

निरीक्षण सं0 01 :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण पूर्वाह्न लगभग 11:15 बजे किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त परिसर का मुख्य द्वार खुला हुआ पाया गया एवं चर्च के अन्दर प्रवेश करने पर चर्च बंद पाया गया एवं आस-पास के लोगों से पूछने पर एक व्यक्ति निकलकर आये जिन्होंने अपना नाम बसंत शॉ (Basant Shaw) बताया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं चर्च के पादरी हैं एवं अपने परिवार के दो सदस्यों के साथ तथा एक अन्य caretaker के साथ रहते हैं। निरीक्षण के दरम्यान यह पाया गया कि उक्त परिसर के अन्दर कई स्थानों पर घास उग आये हैं परन्तु किसी प्रकार का अतिक्रमण इत्यादि नहीं पाया गया तथा चर्च के परिसर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। श्री वसंत शॉ (Basant Shaw) द्वारा यह आश्वस्त किया गया बरसात के मौसम के कारण कई स्थानों पर घास एवं झाड़ियॉ उग आये है जिसे बरसात खत्म होते ही साफ कर दिया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त चर्च के पादरी एवं caretaker दोनों एक-एक छोटे-से कमरे में अलग-अलग रहते हैं तथा चर्च के अन्दर सीमित संसाधनों की गुणवत्ता बरकरार रखी गयी है एवं साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। चर्च लगभग 196 साल पुराना है एवं तत्कालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है।

निदेश :-

निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट होता है कि इस ऐतिहासिक भवन एवं परिसर को यथासंभव उसके मूल स्वरूप में रखना आवश्यक है एवं इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को Ancient Monuments And Archeological Sites and Remains Act, 1958 के तहत् अधिसूचित करना आवश्यक है। तदनुसार खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन

भेने की कार्रवाई अधोहस्ताक्षरी के स्तर से की जाय। साथ ही इस तथ्य पर लगातार निगरानी बनाये रखें ताकि कोई भी व्यक्ति इसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव न कर सके।

(अनुपालन–खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर)

(4) खास महाल गिर्द किला अवस्थित मोट एवं सोझी घाट के बीच में स्थित गिरजाघर, पेस्टर हाउस इत्यादि :–

गिरजाघर की अवस्थिति :– खाता सं0 318 गैरमजरूआ आम खसरा सं0–549 रकवा 30 डिसमिल एवं खसरा सं0 550 रकवा 30 डिसमिल

पादरी निवास :– खसरा सं0 546 रकवा – 01 एकड़

खसरा सं0 548 रकवा – 1.95 एकड़

निरीक्षण सं0 01:–

उपरोक्त खेसरा एवं उसके आस–पास किला गेट के दक्षिणी द्वार से बाहर दायीं ओर गंगा किनारे अवस्थित इस चर्च का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चर्च में शिलापट्ट लगा हुआ है जिसमें अंकित है कि इस मूल चर्च का निर्माण वर्ष 1819 में किया गया है एवं 1934 में आये भूकंप में नुकसान होने पर इसका पुनः 1936 में जीर्णोद्धार किया गया। उसी चर्च के बगल में खेसरा सं0 548 के बीच में काफी पुराना पादरी का निवास स्थान (Pestor house) अवस्थित है। यह भवन काफी मजबूत एवं प्राचीन प्रतीत होता है। वहॉ उपस्थित व्यक्ति आईजैक मेस्सी (Issac Messey) द्वारा बताया गया कि पादरी का आवास भी लगभग दो सौ साल पुराना है। चर्च के दरवाजे से अन्दर प्रवेश करते ही आई0सी0डी0एस0 प्रोग्राम कार्यालय का एक वाहन खड़ा पाया गया तथा पॉच–छह गायें बंधे हुए दिखायी दिये एवं काफी सारा गोबर दरवाजे के अन्दर घुसते ही पड़ा हुआ पाया गया। इस प्रकार चर्च में प्रवेश करते ही किसी व्यक्ति द्वारा गाय, भैंस रखकर कब्जा करना एवं गंदगी फैलाने के संबंध में बताया गया कि आई0सी0डी0एस0 प्रोग्राम कार्यालय के चालक द्वारा ही वहॉ पर कार्यालयी वाहन को खड़ा किया जाता है एवं प्रवेश द्वार पर बंधे गाय, भैंस उसी चालक के है।

निदेश :–

किसी सरकारी कर्मी का यह कार्य अक्षम्य है। अतः इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि उक्त अतिक्रमण को अगले 15 दिनों के अन्र खाली कराना सुनिश्चित करें ताकि ऐतिहासिक गिरजाघर की गरिमा को बरकरार रखा जाय। **(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर)**

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित चालक पर अनुशासनात्मक कार्यवाहीं करें।

(अनुपालन–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर)

निरीक्षण सं0 02 :-

निरीक्षण के दौरान ही किला अन्दर चर्च के पादरी वसंत शॉ (Basant Shaw) ने उपस्थित होकर जानकारी दी कि मुंगेर जिले में लगभग 60-70 क्रिश्चियन परिवार निवास करते है जो प्रत्येक रविवार को गंगा किनारे अवस्थित इस चर्च अथवा किला अन्दर चर्च में आते है। उक्त चर्च भवन एवं पेस्टर हाउस के अवलोकन से यह दृढ़ निश्चय होता है कि उक्त भवन के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के मूल स्वरूप को संरक्षित किया जाना आवश्यक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

निदेश :-

अतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इस आशय का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के स्तर से भेजा जाय। साथ ही चर्च एवं उसके आवासों का सीमांकन कर यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसे भी हटाने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन-अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर)

निरीक्षण सं0 03 :-

निरीक्षण के दौरान एवं उपलब्ध नक्शे के अवलोकन- से स्पष्ट होता है कि सड़क के किनारे व खसरा सं0 545 रकवा-21 डिसमील परती भूमि पर अतिक्रमण परिलक्षित होता है।

निदेश :-

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर अपनी देख-रेख में उक्त खसरा के अतिक्रमण को हटाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर)

07/09/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2270 /गो0, दिनांक 08/09/2011

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/09/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2270 /गो0, दिनांक 08/09/2011

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

07/09/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।